## न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास–रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

**प्रार्थी :–** मुकदमा नं. 29/2021

1. बीरमाराम पुत्र कानाराम जाति–जाट
   निवासी–पन्नापुरा, तहसील–जायल जिला–नागौर

बनाम

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

**अप्रार्थीगण :–**

1. लोडूराम पुत्र नानूराम
2. मोहनराम पुत्र नानूराम
3. इन्द्राराम पुत्र नानूराम
4. मूलाराम पुत्र नानूराम
   जातियान–जाट, निवासी पन्नापुरा तहसील जायल जिला–नागौर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

**प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955**

1. अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थीगण 1 से 4 के विरूद्ध एक पक्षीय।
3. अप्रार्थी संख्या 5 उपस्थित।

–: : **आदेश** : :–

दिनांक-14.10.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नं. 126 रकबा 3.1161 हैक्टेयर ग्राम–पन्नापुरा, तहसील–जायल जिला–नागौर में आया हुआ है, प्रार्थी अपने खातेदारी के खेत में आने–जाने के लिए वर्षो पुराने रास्ता जो कि खेत खसरा नं. 128 से फंटकर खेत खसरा नं. 126/390 रकबा 1. 2545 हैक्टेयर की उत्तरी सींव के पास–2 तथा खसरा नं. 398/390 , खसरा नं. 407/389 तथा खसरा नं. 126/389 की उतरी सींव के पास होते हुये खाता संख्या 1 खसरा नं. 127 रका 0.4856 हैक्टेयर में से व खाता संख्या 65 खसरा नं. 109 में से होते हुये माफिक नजरी नक्शानुसार रास्ते से आता जाता रहा है। इसी रास्ता से

14/10/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल



Scanned with CamScanner

प्रार्थी अपने खातेदारी के खेत में काश्त करसण करता रहा है तथा अपने पशुधन ट्रेक्टर ऊंट छकड़ा आदि लाता रहा है। प्रार्थी अपने खेत में जाने आने हेतु अन्य कोई रास्ता नजदीक रास्ता से नहीं होने यही एक मात्र रास्ता है, जिससे प्रार्थी अपने खातेदारी के खेत में आना जाना कर सके व खेती कार्य कर सके जो नजदीकी रास्ते से सबसे कम दूरी का यही एक मात्र रास्ता है। जो कि नजरी नक्शा में मार्क ए–बी तक 15 फीट चौड़ाई का दर्शाया गया है। जिसे अप्रार्थी संख्या 1 से 4 भी वर्षो से उपभोग में लेते रहे है तथा रास्ता की भूमि के किसी भी खसरे के रास्ता लगने पर सभी खसरो में रास्ता होना कानूनन आवश्यक है, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने अपने खातेदारी की आड़ में खसरा नं. 126 में से नहीं आने जाने की मंशा जाहिर करते हुये धमकी दे रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रार्थी का उसके खातेदारी में खेत में आवागमन बंद कर दिये जाने से आवागमन प्रभावित है। प्रार्थी को खातेदारी खेत में आने जाने तथा कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव है उक्त प्रस्तावित रास्ता ही कटाणी मार्ग से निकटतम रास्ता भी है। अतः अप्रार्थी के खेत में से संलग्न नजरी नक्शानुसार मार्क ''ए–बी'' 15 फीट चौड़ाई की आत्यान्तिक आवश्यकता है। प्रार्थना पेश पर निवेदन है कि मौजा पन्नापुरा के खसरा नं. 128 गैर मुमकिन रास्ते से फंटकर मौजा पन्नापुरा के खेत खसरा नं. 126 तक खसरा नं. 127, 109 में सें 15 फीट चौड़ाई दक्षिणी सींव का पूरी लम्बाई तक तथा खसरा नं. 126/390, 398/390, 407/389, 126/379 में से 15 फीट चौड़ाई उतरी सींव पर पूरी लम्बाई तक माफिक नजरी नक्शानुसार प्रार्थी को खातेदारी के खेत में प्रवेश हेतु नजरी नक्शानुसार रास्ता 30 फीट चौड़ाई में नियमानुसार देय प्रतिकर राशि के एवज में रास्ता स्वीकार एवं घोषित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जवाबदेही/आपत्ति पेश करने हेतु जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 बावजूद तामील सूचना तथा उपस्थिति इन्तजार करने के उपरान्त भी गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार जायल को बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट भू.अ. मार्फत तहसीलदार जायल के जरिये पत्रांक : भू.अ./2021/2808 दिनांक : 28.07.2021 के प्राप्त हुई। उक्त मौका रिपोर्ट का विवरण निम्न है : –

1. यह है कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए कटाणी रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थी कई वर्षो से खसरा नं. 127 किस्म चाही–3 व खसरा नं. 109 किस्म गैर

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल



Scanned with CamScanner

मुमकिन आबादी के दक्षिणी सींव से होते हुये आने खेत खसरा नं. 126 में आता जाता रहा है तथा वर्तमान में मौके पर कदीमी रास्ता चालू है।

2. यह है कि प्रार्थी वर्तमान में कटाणी रास्ता खसरा नं. 128 से शुरू होकर खसरा नं. 127 व 109 से होते हुये अपने खेत खसरा नं. 126 तक आता जाता है, उक्त कटाणी रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं है।
3. यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता, कटाणी रास्ता खसरा नं. 128 से फंटकर खसरा नं. 126/390, 398/390, 407/389व 126/389 की उतरी सींव के पास–15 फीट व खसरा नं. 127 व 109 के दक्षिणी सींव से 15 फीट चौड़ाई कुल 30 फीट चौड़ाई में चाहा गया है, जो कि वर्तमान में मौके पर खसरा नं. 398/390 व खसरा नं. 407/389 किस्म गैर मुमकिन आवासीय पर आवासीय मकान बने हुये है तथा खसरा नं. 126/390 व 126/389 की उतरी सींव पर पक्की दीवार निकाली हुई है। वर्तमान में प्रार्थी खसरा नं. 127 व 109 के दक्षिणी सींव से होते हुये आवागमन करता है उक्त भूमि पर कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं है, मौके पर रास्ता चालू है।
4. यह है कि उक्त रास्ते में खसरा नं. 127 की 480 फुट लम्बाई व 30 फीट चौड़ाई के लिए 0.1338 हैक्टैयर व खसंरा नं. 109 में से 40 फुट लम्बाई व 30 फुट चौड़ाई की भूमि कुल 0.1449 हैक्टैयर रास्ते के उपभोग में आयेगी। खसरा नं. 127व 109 सरकारी भूमि है।

चूंकि प्रकरण में समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण हो चुकी है, मौका रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को जरिये सम्मन प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।प्रकरण हाजा भी सम्मरी प्रोसेडिंग का है, तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधान अनुसार इस प्रकार के प्रकरणो का निस्तारण हेतु निर्धारित समयावधि तय है। इसलिए प्रकरण अन्तिम बहस हेतु नियत किया गया।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का पुर्नदोहरान करते हुये अतिरिक्त कथन किये कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नं. 126 रकबा 3.1161 हैक्टेयर ग्राम–पन्नापुरा, तहसील–जायल जिला–नागौर में आया हुआ है। प्रार्थी खेत खसरा नं. 128 से फंटकर खेत खसरा नं. 126/390 रकबा 1.2545 हैक्टेयर की उत्तरी सींव के पास–2 तथा खसरा नं. 398/390, खसरा नं. 407/389 तथा खसरा नं. 126/389 की उतरी सींव के पास होते हुये खाता

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल



Scanned with CamScanner

संख्या 1 खसरा नं. 127 रका 0.4856 हैक्टेयर में से व खाता संख्या 65 खसरा नं. 109 में से होते हुये माफिक नजरी नक्शानुसार रास्ते से अपने खातेदारी खेत में आता जाता रहा है। इसी रास्ता से प्रार्थी अपने खातेदारी के खेत में काश्त करसण करता रहा है तथा अपने पशुधन ट्रेक्टर ऊंट छकड़ा आदि लाता रहा है।

प्रार्थी अपने खेत में जाने आने हेतु अन्य कोई रास्ता नजदीक रास्ता से नहीं होने यही एक मात्र रास्ता है, जिससे प्रार्थी अपने खातेदारी के खेत में आना जाना कर सके व खेती कार्य कर सके जो नजदीकी रास्ते से सबसे कम दूरी का यही एक मात्र रास्ता है। प्रार्थी को खातेदारी खेत में आने जाने तथा कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव है उक्त प्रस्तावित रास्ता ही कटाणी मार्ग से निकटतम रास्ता भी है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने अपने खातेदारी की आड़ में खसरा नं. 126 में से नहीं आने जाने की मंशा जाहिर करते हुये धमकी दे रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रार्थी का उसके खातेदारी में खेत में आवागमन बंद कर दिये जाने से आवागमन प्रभावित है।

अतः अप्रार्थी के खेत में से संलग्न नजरी नक्शानुसार मौजा पन्नापुरा के खसरा नं. 128 गैर मुमकिन रास्ते से फंटकर खेत खसरा नं. 126 तक खसरा नं. 127, 109 में से 15 फीट चौड़ाई दक्षिणी सींव तथा खसरा नं. 126/390, 398/390, 407/389 , 126/379 में से 15 फीट चौड़ाई उतरी सींव पर पूरी लम्बाई तक माफिक नजरी नक्शानुसार प्रार्थी को खातेदारी के खेत में प्रवेश हेतु नजरी नक्शानुसार रास्ता 30 फीट चौड़ाई में नियमानुसार देय प्रतिकर राशि के एवज में रास्ता स्वीकार एवं घोषित किया जावे।

पत्रावली में प्रार्थना पत्र, जवाब आपत्ति एवं तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.07.2021 का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय बहस पर मनन किया गया। जैसा कि अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अनुसार खातेदार कृषक को निकटतम दूरी के कटाणी रास्ते से वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध होने पर ही रास्ता स्वीकृत अथवा घोषित किये का प्रावधान है। प्रकरण हाजा में प्रार्थी ने स्वयं के खातेदारी खेत खसरा नं. 126 के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 407/389, 398/390, 127, 109 में से कुल 30 फीट चौड़ाई का रास्ता माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए–बी दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है, जबकि भू.अ. निरीक्षक रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता के लिए खसरा नं. 407/389 व 398/390 की भूमि पर मकान निर्माण किये जाने तथा पक्की दीवार बनी होने का उल्लेख है। इसके विकल्प के तौर

सहायक कलक्टर
(... ओ.) जायल



Scanned with CamScanner

पर रास्ता मार्क ए–बी–सी–डी जो कि सरकारी भूमि खसरा नं. 109, 127 में से 30 फीट चौड़ाई का प्रस्तावित किया है। इसके अतिरिक्त मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक में प्रार्थी के खेत में आवागन के लिए वैकल्पिक रास्ते के तौर पर खसरा नं. 119/2 व 120 से डोटेड मार्क से दूरी 695 फुट दर्शाया है जो कि गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं. 113 से लगता है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशानुसार खातेदार/काश्तकार को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में रास्ते हेतु कम से कम भूमि का उपभोग करते हुये स्वीकृत किये जाने के प्रावधान है। प्रकरण में प्रार्थी खसरा नं. 126 के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव भी है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता भी प्रतीत होती है, साथ मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक में खसरा नं. 127 व 109 की भूमि सरकारी भूमि होना बताया है। तथा खसरा नं. 407/389 व 398/390 में से प्रार्थी के द्वारा प्रस्तावित रास्ते पर पक्का मकान व दीवार बनी हुई होने का अंकन मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक में है। इसलिए प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 126 में आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव होने व प्रस्तावित की रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में संलग्न नजरी नक्शानुसार मार्क ए–बी के प्रस्तावित रास्ते को स्वीकार नहीं किया जाकर ग्राम पन्नापुरा तहसील जायल की सरकारी भूमि खसरा नं. 127 व 109 में से ही 30 फीट चौड़ाई में माफिक मौका रिपोर्ट नजरी नक्शानुसार मार्क ए–बी–सी–डी अनुसार स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

**– : : आदेश : : –**

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के खेत खसरा नं. 126 के लिए माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम–पन्नापुरा तहसील–जायल के खसरा नं. 127 व 109 में से माफिक भू.अ. निरीक्षक मौका रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार जायल के प्राप्त अनुसार डोटेट मार्क के अनुसार 30 फीट चौड़ाई में स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 30.12.2021 प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल



Scanned with CamScanner

बीरमाराम बनाम लोडूराम वगैरह
प्रार्थना पत्र 251क–संख्या 29/2021

तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम–पन्नापुरा, तहसील–जायल के खसरा नं. 127, 109 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी द्वारा नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) नियमानुसार राजहक में जमा करवाने के उपरान्त माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करते हुये पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14/10/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

14/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner